76

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः– श्री एस0 एस0 अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 648–एक/2016 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 20–12–05 के द्वारा न्यायालय आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण क्रमांक 16/निगरानी/2002–03.

.....

जसबंत सिंह पुत्र श्री बद्री रावत
निवासी ग्राम मेहवा तहसील कैलारस
जिला मुरैना म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

केदारलाल पुत्र श्रीकृष्ण रावत
निवासी ग्राममेहवा तहसील कैलारस
जिला मुरैना म0प्र0

.....अनावेदक

.....

श्री लखन सिंह धाकड़, अभिभाषक, आवेदक
श्री सी0 एम0 गुप्ता , अभिभाषक अनावेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 12.01.2018 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के आदेश दिनांक 20.12.05 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक केदार लाल द्वारा एक आवेदन तहसीलदार कैलारस के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा प्रकरण क्रमांक 8/97–98 अ–19 पर दर्ज कर सर्वे क्रमांक 154 जिसका कि पुराना नंबर 115 था, को अनावेदक जसबंत पुत्र बद्री को व्यवस्थापित कर दिया है जबकि उपरोक्त आराजी क्रमांक 115 रकवा 11 विस्वा पुराना तथा जिसका कि नया नंबर 154 बना है पर संबत 2040 से पूर्व से उसके पिता श्री कृष्ण का अतिक्रमण था और वह भी व्यवस्थापन का पात्र था किन्तु उसके हितों को नजर अंदाज कर जसबंत पुत्र बद्री को व्यवस्थापन कर दिया गया । इससे दुखित होकर अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा दिनांक 28.9.02 को अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया। इससे दुखित होकर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की जो उनके द्वारा दिनांक 20.12.05 को अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुये निगरानी निरस्त की। इससे परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3– आवेदक अधिवक्त का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कब्जा के संबध में अनावेदक द्वारा बगैर किसी दस्तावेज के प्रस्तुत किये जो निष्कर्ष निकाले गये हैं वह मात्र कल्पनाओं के आधार पर ही निकाले गये हैं। आवेदक का कब्जा विचारण न्यायालय में अपना कब्जा सिद्व किया हैं तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत उद्घोषणा, इस्तहार जारी ग्राम पंचायत का अभिमत पटवारी कथन अन्य स्वतंत्र साक्षियों के कथन लिये गये । किन्तु नियत समय में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत व्यवस्थापन आदेश दिनांक 30.10.98 पारित किया

गया जो विधिसम्मत आदेश था जिसे अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा निरस्त करने में महान भूल की है । उनके द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किस आधार पर उद्घोषणा त्रुटिपूर्ण माना गया है। इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर विचार किये बगैर निरस्त कर कानूनी भूल की है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जावे। तथा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर तहसीलदार का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया है।

4–अनावेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त चंबल सभाग मुरैना का आदेश दिनांक उचित होने से स्थिर रखा जावे। उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता महसूस नहीं होती है क्यों कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण का संपूर्ण अवलोकन कर तहसीलदार के आदेश को निरस्त कर प्रकरण को प्रत्यावर्तित किया गया है। एवं इसी आदेश को आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा स्थिर रखा गया है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

5–उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न अभिलेख का अवलोकन किया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उद्घोषणा का प्रकाशन तामील कुनिदां द्वारा नियमानुसार नहीं कराया गया उद्घोषणा का दिनांक अंकित नहीं है एवं उसके पृष्ठ भाग पर लगाई गई टीप एक ही व्यक्ति द्वारा लिखी गई है। इसका उल्लेख आयुक्त द्वारा अपने आदेश में लेख भी किया गया है। सरहदी कास्तकारों को भी नहीं बुलाया गया है। व्यवस्थापन करते समय सर्व प्रथम कम भूमि वाले व्यक्ति को पात्रता आती है, इसमें भी कोई जांच प्रतिवेदन पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक से नहीं लिया गया है। अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़ द्वारा

विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड करने में कोई त्रुटि नहीं की गई, उसी आदेश को आयुक्त द्वारा स्थिर रखा गया है। अतः आयुक्त का आदेश स्थिर रखने योग्य है।

6–उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण क्रमांक 16/निगरानी/2002–03 में पारित आदेश दिनांक 20.12.05 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर